



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक :- 12.10.2024

**थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 198/24 धारा 11(1)(d) पशु क्रूरता अधिनियम, 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS एवं मु0अ0सं0 199/24 धारा 109(1) बीएनएस (पु0मु0) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में नामजद/वांछित 01 अभियुक्त को 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित किया गिरफ्तार ।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 198/24 धारा 11(1)(d) पशु क्रूरता अधिनियम तथा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS व मु0अ0सं0 199/24 धारा 109(1) बीएनएस (पु0मु0) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना जहानगंज, जनपद फतेहगढ़ से सम्बन्धित वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्त मो0 नसीम पुत्र दिलावर निवासी मरहैया थाना कांट जनपद शाहजहांपुर को 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. मो0 नसीम पुत्र दिलावर निवासी मरहैया थाना कांट जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 32 वर्ष ।

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 09.10.2024 की रात्रि को प्राप्त सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी उ०नि० श्री अच्छेलाल पाल मय हमराही हे०का० 468 सुनील कुमार व का० 463 सोनू समय करीब 00.10 बजे ग्राम जैतपुर के पास पहुँचे जहाँ पर एक कन्टेनर बन्द बाडी वाहन सं० UP21 CT 0922 में 25 राशि बैल लदे हुये थे। उक्त प्रकरण में तत्काल वादी उ०नि० श्री अच्छेलाल पाल चौकी प्रभारी राजपूताना की तहरीर के आधार पर थाना जहानगंज पर मु०अ०सं० 198/24 धारा 11(1)(d) पशु क्रूरता अधिनियम तथा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS जनपद फतेहगढ़ से सम्बन्धित 06 अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था जिसमें अभियुक्त उवैश पुत्र सलीम निवासी ग्राम नंगलिया थाना अजीमनगर जनपद रामपुर घायल अवस्था में है जिसका डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, फर्रुखाबाद में इलाज चल रहा है। विवेचना के क्रम में दिनांक 12.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्त मो० नसीम पुत्र दिलावर निवासी मरहैया थाना कांट जनपद शाहजहांपुर को वाहिदपुर मजार के पास से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु०अ०सं० 202/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यावही की जा रही है।

### **अभियुक्त मो० नसीम पुत्र दिलावर का आपराधिक इतिहास :-**

1. मु०अ०स० 198/24 धारा 11(1)(d) पशु क्रूरता अधिनियम तथा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।
2. मु०अ०सं० 199/24 धारा 109(1) BNS (पु०मु०) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।
3. मु०अ०सं० 202/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।
4. मु०अ०स० 381/2022 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना कासिमपुर जनपद हरदोई।
5. मु०अ०स० 474/2022 धारा 11(1)(d) पशु क्रूरता अधि० तथा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना माल्लवां जनपद हरदोई।

### **बरामदगी का विवरण :-**

1. 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज।

### **गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम :-**

1. उ०नि० श्री जितेन्द्र पटेल थानाध्यक्ष जहानगंज
2. उ०नि० श्री अच्छेलाल पाल (चौकी प्रभारी राजपूताना)
3. हे०का० सुनील कुमार
4. हे०का० रामयश सिंह
5. का० अमित कुमार
6. का० ब्रजवीर सिंह

**मीडिया सेल फतेहगढ़**

